संख्या 1803/कार्मिक–2/2002.

प्रेषक,
आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्यालय, जिलाधिकारी–चम्पावत
पंजीयन सं० 2105 दिनांक 25-2-03

सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी 2003

विषयः विभिन्न विभागों के अंतर्गत/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं, कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी–'ग' तथा श्रेणी 'घ' के कतिपय पदों पर अस्थायी/संविदा/तदर्थ/नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियॉ की जा रही है। और इस संबंध में किसी प्रकिया/मानदण्ड का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के लिए सुसंगत सेवा नियमावलियों में भर्ती एवं चयन की प्रकियाएं प्रावधानित है। सेवाओं/पदों पर नियुक्तियॉ भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्रों के खुले आमंत्रण कर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रवीणता कम में की जानी चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियों से सेवा संवर्गो में विसंगतियॉ उत्पन्न होती हैं। ज्येष्ठता संबंधी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गो का सेवाओं/पदों पर आरक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हैं। जबकि प्रतिवन्ध होने के पश्चात भी चयन की किसी प्रकिया का अनुपालन किये बिना की गई नियुक्तियॉ जहॉ एक ओर अनियमित नियुक्तियॉ है, वही दूसरी ओर ऐसी अनियमित नियुक्तियों के लम्बे समय तक बनाये रखने पर विनियमितीकरण की मॉग उठती है। जिससे सेवा संबंधी मामलों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

RMGC

DM CPT
14/02/03

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(i) श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के किसी भी पद पर दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिवन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रकिया निर्धारित

करते हुए यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप हो, कार्मि विभाग की सहमति के पश्चात् मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अल्पालिक होगी। उपरोक्त से भिन्न रूप में की गयी अनियमित नियुक्तियों को गम्भीर कदाचार समझा जायेगा। इस प्रकार की नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधि कोषाधिकारी /बरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा।

(ii) कोषाधिकारी/ज्येष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथमबा भुगतान हेतु बिल भेजे जाने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितर अधिकारी से उपरोक्त प्रस्तर–2 (1) के अनुसार अनुमोदन प्रकिया से नियुक्ति करने का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितर अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराने पर संबंधि व्यतिक्त का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा। आगामी माह के प्रथ सप्ताह में ऐसे प्राप्त प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) प्रस्तर 2 (1) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नही चलाया जायेगा। सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रकिया शीघ्रताशीघ्र पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(iv) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुवित्तयॉ की जायेगी, उनके विरूद्व अनियमि नियुक्तियॉ करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमि नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना की गयी अनियमित नियुक्तियों को संबंधित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रकिया के अनुसार समाप्त किया जायेगा।

(v) प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित रीति से भिन्न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने पर उसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकू प्रविष्टि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पॅजिका में की जायेगी।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत ।
संख्या2184 / मकम्- विविध/2003 दिनांक24-2-2003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी, सामान्य कक्ष , जिला कार्यालय ,चम्पावत ।
2. प्रभारी अधिकारी (नजारत) जिला कार्यालय,चम्पावत
3. गार्ड फाइल ई.आर.के. जिला कार्यालय चम्पावत ।

प्रभारी अधिकारी,

संख्या: 554/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चम्पावत ।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून: दिनांक: 25, अप्रैल, 2003

विषय: वाहन चालक/चौकीदार के पदों को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 463/नवत–प्र0 710 (2002–2003) दिनांक 20 मार्च 2003 के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सृजित पदों पर नियमानुसार नियुक्ति किये जाने पर कोई रोक नहीं लगायी है । संविदा/तदर्थ /नियत वेतन/दैनिक वेतन आदि पर नियुक्ति हेतु शासनादेश सं0 1803/कार्मिक–2/2003 दिनांक 06 फरवरी, 03 (प्रति संलग्न) द्वारा रोक लगायी गयी है ।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

संख्या: 63 /XXVII(7)27(8)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 05 जुलाई, 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषय शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(III) में यह व्यवस्था की गयी है कि "₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वत: समाप्त होते जायेगें अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाइंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी।" उपरोक्त विषय में विभिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3– उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।